

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/181/2017	2017/10251	17.11.2017	16.11.2021

01-नीलम पत्नी रोशन जाति अहीर निवासी ग्राम सोनागढ(चण्डीगढ) तहसील रामगढ।

-अपीलांट

बनाम

01- राज0सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

-रैस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ दिनांक
25.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण
संख्या 287/2017

उपस्थित:-

01-श्री जनार्दन शर्मा
02-श्री दीपक मीणा

-वकील अपीलाण्ट
-वकील रेस्पोडेन्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 25.09.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम माणकी की सरकारी भूमि चारागाह के आ.ख.नं. 224 रकबा 1.60 है0में से 0.20 है0, 225, रकबा 1.60 में से 0.40 है0 पर कब्जा कर जोत व फसल बाजरा बोकर अतिक्रमण कर लिये जाने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे से बेदेखल किये जाने तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुना पेनल्टी/- तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा खसरा नम्बर आ.ख.नं. 224 रकबा 1.60 है0में से 0.20 है0, 225, रकबा 1.60 में से 0.40 है0 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही आज है। अपीलांट का वर्तमान में विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.09.2017 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। तहसीलदार रामगढ ने अपनी मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/21/558 दिनांक 16.3.2021 में अंकित किया है कि "मौके पर आराजी खसरा नम्बर आ.ख.नं. 224 रकबा 1.60 है0में से 0.20 है0, 225, रकबा 1.60 में से 0.40 है0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वाके ग्राम माणका पर अतिक्रमी नीलम द्वारा अतिक्रमण छोड दिया गया है। मौके पर उक्त भूमि खाली पडी हुई है। प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस शर्त पर अपास्त किया जाना उचित समझते है कि तहसीलदार रामगढ अतिक्रमी द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुनः जांच करे यदि अतिक्रमी का प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण पाया जाता है तो पूर्व आदेश दिनांक 25.9.2017 यथावत रहेगा। यदि अतिक्रमी का प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो 03 माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को अपास्त किया जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 25.9.2017 में 03 माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमी का अतिक्रमण नहीं पाये जाने की स्थिति में अपास्त किया जाता है। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 25.9.2017 यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापस भिजवाया जावे। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर